अध्याय-XX : कपड़ा मंत्रालय

राष्ट्रीय जूट बोर्ड

20.1 पूंजीगत आर्थिक सहायता के संवितरण पर योजना उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में विफलता

राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा 16 जूट इकाईयों को ₹3.80 करोड़ की आर्थिक सहायता प्लांट एवं मशीनों के अधिग्रहण (पूंजीगत सहायता) के उल्लंघन में दी गई।

राष्ट्रीय जूट बोर्ड (एनजेबी) के माध्यम से कपड़ा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित "संयंत्र तथा मशीनरी अधिग्रहण (पूंजीगत आर्थिक सहायता) योजना'' की शर्तों के अनुसार जूट मिलें नए संयंत्र तथा मशीनरी के अधिप्रापण लागत का 20 प्रतिशत की आर्थिक सहायता लेने के पात्र हैं। एनजेबी ने योजना के अंतर्गत 2007-08 तथा 2013-14 की अवधि के बीच 120 जूट मिलों कों ₹104.36 करोड़ की आर्थिक सहायता संवितरित की। जूट आयुक्त, कोलकाता कार्यालय के लेखापरीक्षा कर्मचारियों तथा एनजेबी से बनी एक टीम ने 21 जूट मिलों, जिन्होने 2007-08 तथा 2013-14 के बीच आर्थिक सहायता के रूप में ₹24.21 करोड़ प्राप्त किए थे, का एक संयुक्त निरीक्षण किया (मार्च-अप्रैल 2015 तथा जुलाई-अगस्त 2016 के दौरान)। लेखापरीक्षा ने पाया कि 16 जूट यूनिटो को ₹3.80 करोड़ की आर्थिक सहायता का भुगतान योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन था जिसका वर्णन नीचे विस्तार से किया गया है:

पुरानी मशीनों के लिए दी गई आर्थिक सहायता

निरीक्षित 21 यूनिटो में से 10 में, एनजेबी निरीक्षकों द्वारा दिए गए गलत प्रमाणन पर आधारित पुरानी मशीनो पर ₹1.92 करोड़ राशि की आर्थिक सहायता दी गई थी।

2017 की प्रतिवेदन सं. 12

मिल में आर्थिक सहायता प्राप्त मशीनों का न पाया जाना

योजना के अनुसार जूट मिलों द्वारा उन मशीनरियों जिस पर आर्थिक सहायता संवितरित की गई थी आर्थिक सहायता की प्राप्ति की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के भीतर उनका बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 21 यूनिटों के संयुक्त निरीक्षण से प्रकट हुआ कि 34 मशीने जिन पर ₹0.88 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी की गई थी, मिल परिसर में नहीं पाई गई थीं।

जूट का उत्पादन न करने वाली मशीनों पर वितरित आर्थिक सहायता

एक मामले में यह पाया गया था कि एक फर्म ने मार्च 2008 में ₹ 1 करोड़ राशि की पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त की थी जबकि उसने केवल सूती धागे का ही उत्पादन किया था तथा परिसर में लगाई गई सभी मशीने केवल सूती धागे के उत्पादन हेतु उपयोग की गई थी।

इसके बावजूद, एनजेबी निरीक्षक ने, योजना के अंतर्गत मशीनों को प्रमाणित किया था। एक अन्य मामले में, यह पाया गया था कि एक मशीन को छोड़कर अन्य सभी मशीनें जिन पर ₹6.32 लाख की आर्थिक सहायता संवितरित की गई थी, सिंथेटिक कपड़ा उत्पादन करने वाली थी न कि जूट का उत्पादन करने वाली मशीनें।

एनजेबी ने उत्तर दिया (जून 2015) कि संबंधित निरीक्षकों के प्रमाणपत्रों के आधार पर आर्थिक सहायता जारी की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सुनिश्चित करना एनजेबी की जिम्मेदारी थी कि योजना की शर्तों का उपयुक्त रूप से पालन हो रहा है।

मामला दिसम्बर 2015 को सौंपा गया था; जनवरी 2017 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।